भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 951

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत असम में लाभार्थी उम्मीदवार

951. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत असम में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) असम में पीएमकेवीवाई के उम्मीदवारों की ड्रॉपआउट दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में पीएमकेवीवाई के सभी संस्करणों के अंतर्गत उम्मीदवारों की नियोजन दरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त राज्य में रद्द किए गए प्रशिक्षण बैचों की संख्या कितनी है और इन्हें रद्द किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से अलग किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त राज्य में पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) की संख्या कितनी है तथा इनमें से अभी भी सक्रिय भागीदारों का हिस्सा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के लिए 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, स्थापना के बाद से यानी 2015 से 31.12.2024 तक असम राज्य में 8.29 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। इसमें 5.06 लाख महिला उम्मीदवार, 0.41 लाख एससी उम्मीदवार और 0.73 लाख एसटी उम्मीदवार शामिल हैं।

(ख) पीएमकेवीवाई के तहत, स्थापना के बाद से यानी 2015 से 31.12.2024 तक असम राज्य में 8.84 लाख उम्मीदवारों का नामांकन किया गया। इनमें से 8.29 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/उन्मुखीकृत किया गया, जो दर्शाता है कि प्रशिक्षण पूरा होने तक नामांकन में लगभग 6% अभ्यर्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी।

(ग) और (ङ) योजना के पहले तीन संस्करणों के शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) घटक में प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया। इन संस्करणों के तहत, असम राज्य में पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक में 1.53 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया। जिनमें से 0.67 लाख उम्मीदवारों को प्लेसमेंट की सूचना मिली, जो लगभग 44% प्लेसमेंट को दर्शाता है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें करियर विकल्प बनाने के लिए योजना के तहत अच्छी तरह से उन्मुख किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी प्लेसमेंट का अवसर देते हैं।

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत असम राज्य में 873 बैच रद्द किए गए। रद्द किए गए बैचों की कारणवार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	बैच रद्द करने का कारण	बैचों की संख्या
1	प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बैच रद्द किया गया	473
2	ड्रॉपआउट के कारण बैच रद्द किया गया	279
3	एईबीएएस का अनुपालन न करने के कारण बैच रद्द किया गया	106
4	प्रशिक्षण भागीदार द्वारा बैच रद्द किया गया	15

(च) पीएमकेवीवाई के तहत, देश भर में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) को सूचीबद्ध किया गया है। असम राज्य में पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत प्रशिक्षण देने वाले सूचीबद्ध टीपी की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	पीएमकेवीवाई के चरण	प्रशिक्षण देने वाले पैनलबद्ध टीपी की संख्या
1	पीएमकेवीवाई 1.0	82
2	पीएमकेवीवाई 2.0	183
3	पीएमकेवीवाई 3.0	120

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, 2023 से, 31.12.2024 तक, 166 सूचीबद्ध टीपी ने असम राज्य में प्रशिक्षण दिया है।

*****